न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी महेन्द्र लोढ़ा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 26/2020 दायरा दिनांक : 06.07.2020

उनवान

1– श्री नौशाद अली पुत्र लियाकत अली जाति मुसलमान निवासी मनोहरथाना तहसील मनोहर थाना जिला झालावाड़

2– गोकुल प्रसाद पुत्र हजारी लाल जाति माली निवासी चॉदपुरा कस्बा तहसीलन मनोहर थाना जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

1– घासीलाल बल्द हजारी लाल जाति माली निवासी चॉदपुरा कस्बा तहसील मनोहर थाना जिला झालावाड़

2– घनश्याम पुत्र हजारी लाल

3– कोशल्या बाई पत्नी राधेश्याम

4– प्रभुलाल वल्द अमरलाल अकवाम जाति माली निवासी चॉदपुरा कस्बा तहसील मनोहर थाना जिला झालावाड

5– कन्ची बाई पत्नी गुलाब चन्द जाति तंवर निवासी सांडस तहसील मनोहर थाना

6– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील मनोहर थाना जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री सी.पी. खण्डेलवाल अभिभाषक अपीलांट की ओर से

निर्णय दिनांक : 26.11.2020

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, मनोहर थाना के प्रकरण संख्या 181/दावा/16 – निर्णय व डिकी दिनांक 30.06.2017 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित आराजी ग्राम मनोहरथाना की खाता संख्या 48, खाता संख्या 45, खाता संख्या 47 एवं खाता संख्या 62 की आराजी के मामले में रेस्पोडेंट कम 1 द्वारा प्रस्तुत बटवारें का वाद लोक अदालत मनोहर थाना में कानूनी प्रावधानों के विपरीत एवं लोक अदालत के प्रावधानों के विपरीत निर्णित कर डिकी करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट कम 1 वादी के द्वारा दिनांक 27–07–16 को प्रस्तुत वाद में दिनांक 21–03–17 को प्रकरण तलबी प्रतिवादी कम 2 व 3 की तलवी हेतु दिनांक 19–04–17 तारीख पेशी नियत की गयी थी। उसके बाद दिनांक 17–05–17 को दी गयी, दिनांक 17–05–17 को प्रकरण पेशी में नहीं लेकर बिना सहमति पक्षकारान प्रकरण दिनांक 30–06–17 को लोक अदालत कैम्प मनोहरथाना में रखकर निर्णय एवं डिकी पारित कर दी गयी जो सिविल प्रकिया संहिता के प्रावधानों के पूर्णतया विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेशिका से स्पष्ट है कि अपीलांट गोकुल प्रतिवादी कम 1 को वाद प्रस्तुत होने के बाद तलवी हेतु नोटिस जारी नहीं किया गया। जबकि अपीलांट गोकुल सहखातेदार था। विवादित मामले में दिनांक 30–06–17 को कोई प्रार्थना पत्र पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत नहीं हुआ ऐसी स्थिति में बिना सहमति पक्षकारान लोक अदालत का निर्णय एवं डिकी निरस्त योग्य है।

प्रतिवादी कम 1 व 2 के द्वारा अपने हिस्से की खाता संख्या 48 की खसरा संख्या 621 की रकबा 2 बीघा आराजी में अपना 2/3 हिस्सा रेस्पोडेंट/वादी के द्वारा वाद प्रस्तुत करने की दिनांक 27–07–16 को ही अपीलांट कम 2 नौशाद के हक में दिनांक 27–05–16 को जर्ये रजिस्टर्ड विकय पत्र बेचान कर कब्जा दे दिया था, और इस बेचान की जानकारी रेस्पोडेंट कम 1 वादी को दी, इसके बावजूद भी अपीलांट कम 2 केता को जान बूझकर दावे में पक्षकार नहीं बनाया। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय एवं डिकी से अपीलांट कम 2 के हक और अधिकार प्रभावित होते है। ऐसी स्थिति में अपीलांट कम 2 भी प्रभावित पक्षकार होने की हैसियत से यह अपील प्रस्तुत करने का अधिकारी है। अपीलांट कम 1 को अधीनस्थ न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने के बाद कोई नोटिस जारी नहीं किया गया एवं अपीलांट कम 2 को भी पक्षकार नहीं बनाया गया । ऐसी स्थिति में अपीलांट अपनी

पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

जवाब देही, साक्ष्य काउण्टर क्लेम से वंचित रह गया, जबकि बंटवारे के वाद में सहखातेदारान को सुनवायी का अवसर दिया जाना कानूनन आवश्यक है। इस प्रकार से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है जो निरस्त होने योग्य है।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 12–03–2020 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । अपीलांट की बहस सुनी गई ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है ।

अपीलांट सं. 1 नौशाद द्वारा वादग्रस्त आराजी ख.नं. 621 की 2/3 हिस्सा दिनांक 27–05–2016 को अपीलांट सं.2 व रेस्पोडेंट सं.2 द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के क्रय की गई थी। अधीनस्थ न्यायालय में वाद दिनांक 27–07–2016 को पेश हुआ। अतः बेचान अधीनस्थ न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने से पूर्व हो चुका था। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 06–09–16 में प्रतिवादी संख्या 1 गोकुल की तामील बाबत् कोई उल्लेख नहीं है। इससे स्पष्ट है कि जब गोकुल की तामील ही नहीं हुई तो अपीलांट नौशाद में विक्रय की जानकारी सामने नहीं आई। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिपूर्वक निर्णय किया जाना नहीं पाया जाता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.06.2017 अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट क्रेता को पक्षकार बनाकर समस्त पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाकर वाद का विधिपूर्वक निर्णय पारित करे। पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 26.02.2021 को उपस्थित होवे ।

निर्णय आज दिनांक 26–11–2020 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा